रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-170/2024/3467/22-2-2023-17(1495)/2023
लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुरारी (बन्दी संख्या-619/2022) पुत्र श्री किशनलाल, निवासी ऊतरा, थाना-सासनी, जनपद-अलीगढ़ (वर्तमान जनपद-हाथरस), जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-94/1982 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 15.06.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.01.2008 द्वारा यथावत रखा गया है, बन्दी द्वारा दिनांक 09.07.2023 तक 03 वर्ष 06 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 08 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बंदी की 88 वर्ष से अधिक आयु, बंदी की वृद्धावस्था, अशक्तता एवं संतोषजनक जेल आचरण तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-170/2024/3467(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़/हाथरस।**
3- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़/हाथरस।**
4- **वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।**
5- **नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रिमिनल मिस0 रिट याचिका संख्या-14689/2024 मुरारीलाल बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.08.2024 के सन्दर्भ में।**
6- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
7- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
8- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
9- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in